अपील सूचना अधिकार संख्या 42/2018 (RCMS :2018/00112) अजायब सिंह पुत्र श्रंगारा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 22 एनपी डाकखाना मोहननगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम राज्य सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.07.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अजायब सिंह स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी ने दिनांक 07.04.2018 को एक प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर के समक्ष पेश करके सूचना चाही थी, जो उसे नियत अवधि में न मिलने के कारण उसके द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलार्थी ने अपील में प्रार्थना की है उसकी अपील स्वीकार की जाकर 250 रूपये शास्ति अधिरोपित किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अजायब सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः–

सा/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> हरिजन रिफ्यूजी आवंटन 92 फैमिली ग्रुप लीडर तेजा सिंह में प्रार्थी के पिता श्रृंगारा सिंह पुत्र सुरायण सिंह मजहबी 22 एनपी को 22 एनपी तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नम्बर 55 व 63 की 22.10 बीघा एवं भाई मोहन सिंह पुत्र श्रृंगारा सिह मजहबी 22 एनपी को 22 एनी तहसील रायसिंहनगर में मुरब्बा नम्बर 56 व 69 में भूमि का आवंटन किया गया था। यह आवंटन सम्वत् सन् 1963 का है। प्रार्थी इन दोनों परिवारों के दाखिला रजिस्टर की की प्रमाणित प्रति चाहता है। प्रार्थी को कृपया यह बताया जाए कि इसकी प्रमाणित प्रति जिले के किस कार्यालय में उपलब्ध है ? एवं यह रिकॉर्ड दिल्ली में मिल सकता है क्या?

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 773 दिनांक 17.05.2018 से निम्न सूचना उपलब करवाई है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम दिनांक 07.04.2018 का इस कार्यालय में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक 720 दिनांक 27.04.2018 के संलग्न प्राप्त हुआ है। आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में लेख है कि हरिजन रिफ्यूजी आवंटन 92 फैमिली ग्रुप लीडर तेजा सिंह का दाखिला रजिस्टर इस कार्यालय में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अतः आपकी चाही गई प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

सत्यापित
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना सम्बन्धी अभिलेख नहीं है इसलिए उसे दिया गया उत्तर दिनांक 17.05.2018 सही है। प्रार्थी ने अपनी उक्त सूचना में यह भी पूछा है कि उक्त अभिलेख की प्रमाणित प्रति जिले के किस कार्यालय में उपलब्ध है? एवं यह रिकॉर्ड दिल्ली मिल सकता है क्या? उक्त सूचनाएं काल्पनिक है एवं प्रश्नात्मक है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 17.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर